(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं. 07/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 19 मई, 2022

विषयः आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 09 के तहत ताजा अदरक की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 09 के आईटीसी (एचएस) 09101110 के तहत नीतिगत शर्त को निम्नानुसार संशोधित करती है।

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
0910 11	अदरकः न तो कुचला हुआ न ही पिसा हुआ			
0910 11 10	–ताजा	प्रतिबंधित	तथापि, नेपाल से पूर्ण रूप से उत्पादित अदरक का आयात व्यापार की भारत–नेपाल संधि के अनुच्छेद IV और V के अधीन **मुक्त** है	क) नेपाल से पूर्ण रूप से उत्पादित अदरक का आयात व्यापार की भारत–नेपाल संधि के अनुच्छेद IV और V के अधीन **मुक्त** है ख) भूटान से पूर्ण रूप से उत्पादित अदरक का आयात भारत और भूटान के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर समझौता के अनुच्छेद–I के अधीन मुक्त है।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः भूटान में पूर्ण रूप से उत्पादित ताजा अदरक का आयात भारत और भूटान के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर समझौते के अधीन **मुक्त** है।

संतोष कुमार सारंगी
19.5.2022
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/43/एएम–01/पीसी–2[क]/भाग–III/ई–8258 से जारी)